न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0–366/2019

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य..वादीगण

बनाम

सत्यनारायण साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
28.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी सं0–02 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 06.03.2025 संबंधित आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 28.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को वादी सं0–02 के आवेदन दिनांक 06.03.2025 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	
पश्चात् 28.04.2025	**आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0–10 मु0 लालपरी देवी की मृत्यु दिनांक–26.07.2024 को हो गई है। प्रतिवादी सं0–10 मु0 लालपरी देवी अपने पीछे अपने विधिक वारिसान एक पुत्र दिनेश यादव एवं एक पुत्री सुमन देवी को छोड़कर वफात कर गई है जो उपरोक्त वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0–10(क) एवं 10(ख) के रूप में पक्षकार है। उपरोक्त वाद से प्रतिवादी सं0–10 का नाम विलोपित किया जाना वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र के प्रतिवादी खाना से प्रतिवादी सं0–10 मु0 लालपरी देवी का नाम विलोपित करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्तत्व वाद सं0–366/2019</u>

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य...वादीगण

बनाम

सत्यनारायण साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 28.04.2025	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–10 मु0 लालपरी देवी की मृत्यु दिनांक 26.07.2024 को हो गई। जिसके सम्बन्ध में महेन्द्र महतो द्वारा सत्यापन एवं शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 06.03.2024 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अन्दर वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–10 मु0 लालपरी देवी का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक 07.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	